

एमएसएमई पार्टियों को भुगतान के संबंध में आयकर अद्यतन (धारा 43बी(एच))

किन करदाताओं पर लाग्

यह धारा निम्नलिखित को छोड़कर सभी करदाताओं पर लागू होती है:

- क) जहां निर्धारिती एक व्यक्ति, स्वामित्व फर्म, एचयूएफ या साझेदारी फर्म है, अनुमानित कराधान योजना के तहत लाभ की गणना करता है, यानी कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों का 8%।
- ख) जहां भुगतान धारा 28 के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए है, यानी व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ। यदि व्यय का दावा वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय के तहत किया जा रहा है
- ग) यदि बकाया किसी पूंजीगत संपत्ति की खरीद के लिए है, जिसका दावा व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ से कटौती के रूप में नहीं किया जा रहा है

इसका मतलब यह है कि यदि किसी करदाता के पास ऐसा व्यवसाय है, जहां सकल कारोबार 2 करोड़ रुपये से कम है (3 करोड़ रुपये, यदि नकद में प्राप्त कुल राशि कुल कारोबार/प्राप्ति का 5% से अधिक नहीं है) और लाभ की गणना 8% (6%) पर की जाती है। टर्नओवर का बैंक के माध्यम से प्राप्त राशि का %), तो यह धारा लागू नहीं होती है।

इस अनुभाग के लिए कौन से एमएसएमई शामिल हैं

यह धारा केवल एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए लागू है। इसका मतलब यह है कि यह मध्यम उद्यम पर लागू नहीं है:

- क) सूक्ष्म उद्यम संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, 1 करोड़ रुपये से कम और वार्षिक कारोबार रुपये से कम है। 5 करोड़
- ख) लघु उद्यम संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, 10 करोड़ रुपये से कम और वार्षिक कारोबार रुपये से कम है। 50 करोड़
- ग) यह धारा केवल विनिर्माण उद्यमों और उद्यम प्रदान करने वाली सेवाओं पर लागू होती है, जिसका अर्थ है कि यह धारा व्यापारियों के लिए लागू नहीं है, भले ही वे पंजीकृत हों और सूक्ष्म या लघु उद्यम हों




कैसे जांचें कि कोई पार्टी एमएसएमई है या नहीं

करदाता को आपूर्तिकर्ता से एमएसएमई प्रमाणपत्र मांगना चाहिए और निम्नलिखित की जांच करनी चाहिए:

- क) यदि वैध पंजीकरण है और पंजीकरण सक्रिय है
- ख) यदि प्रम्ख गतिविधि सेवा/निर्माता है। यदि यह व्यापारी है तो प्रावधान लागू नहीं होते
- ग) यदि उद्यम का प्रकार सूक्ष्म, लघु या मध्यम है। यदि यह माध्यम है तो प्रावधान लागू नहीं होते हैं

आपूर्तिकर्ता के विवरण की जांच करने के लिए, निर्धारिती इस लिंक पर जा सकता है और विवरण की जांच कर सकता है:

https://udyamregistration.gov.in/udyam_verify.aspx



इस धारा के प्रावधान क्या हैं?

नए प्रावधानों में कहा गया है कि, 31 मार्च को निर्दिष्ट समय अविध के बाद सूक्ष्म और लघु उद्यम को देय किसी भी राशि को आय से कटौती की अनुमित नहीं दी जाएगी।

इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भुगतान के लिए निर्दिष्ट समयाविध क्या है:

- क) यदि अनुबंध/समझौता/पीओ/किसी भी प्रकार का समझौता है, तो सहमत क्रेडिट अवधि, जो 45 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि अनुबंध में क्रेडिट अवधि 30 दिन है, तो निर्दिष्ट समय अवधि 30 दिन होगी। हालाँकि, यदि अनुबंध में क्रेडिट अवधि 90 दिन है, तो निर्दिष्ट समय अवधि 45 दिन मानी जाएगी
- ख) यदि कोई समझौता नहीं है, तो निर्दिष्ट अविध 15 दिन मानी जाएगी, यानी सामान या सेवा की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा

निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भुगतान न करने के क्या परिणाम होंगे?

यदि भ्गतान 31 मार्च को निर्दिष्ट समय अविध के भीतर नहीं किया जाता है, तो,

- क) ऐसे व्यय को चालू वर्ष में कटौती के रूप में अन्मति नहीं दी जाएगी
- ख) एमएसएमई पार्टी को देरी से भुगतान के लिए बैंक दर से 3 गुना ब्याज देना होगा जो वर्तमान में 6.75% है, यानी 20.25%
- ग) विलंबित भुगतान पर ब्याज को आयकर में व्यय की कटौती के रूप में अनुमति नहीं है
- घ) इस तरह के व्यय को उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुमित दी जाएगी जिसमें राशि का भगतान किया गया है
- ड) रिटर्न दाखिल करने या टैक्स ऑडिट की तारीख तक भुगतान में छूट लागू नहीं है
- च) घ) कर लेखा परीक्षक को अपनी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसी सभी राशि का विवरण देना आवश्यक है जो निर्दिष्ट समय के भीतर देय था और भ्गतान नहीं किया गया है

क्या लाभ खो गया है या स्थगित हो गया है

यदि निर्दिष्ट समयाविध के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस राशि को चालू वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालाँकि, कटौती समाप्त नहीं होगी और उस वर्ष में अनुमित दी जाएगी जिसमें इसका वास्तव में भगतान किया गया है

अंग्रेजी संस्करण भी नीचे दिया गया है

English version is also provided below



Income Tax update regarding payment to MSME Parties (Section 43B(h)

Applicable to which assesse

This section is applicable to all assesse, except the below ones:

- a) Where the assesse is an Individual, Proprietorship firm, HUF or Partnership Firm, calculating profit under Presumptive Taxation Scheme, i.e. 8% of total turnover or gross receipts.
- b) Where the payment is for any purpose other than sec 28, i.e. Profits and Gains from Business or profession. If the expense is being claimed under the head Income from Salary, House Property, Capital Gains, Other Sources
- c) If the dues are for purchase of any capital asset which is not being claimed as a deduction from Profits and Gains from Business or Profession

This means that if an assesse, is having a business where gross turnover is less than 2 crore rupees (3 crore in case total amount received in cash does not exceed 5% of total turnover/receipt) and profit is computed at 8% (6% for amount received through bank) of turnover, then this section is not applicable.

Which MSME are covered for this section

This section is applicable only for Micro and Small Enterprise registered under the MSMED Act. This means that this is not applicable to Medium Enterprise:

- a) Micro Enterprise Investment in Plant and Machinery or Equipment, less than Rs.1 crore and Annual Turnover is less than Rs. 5 crore
- b) Small Enterprise Investment in Plant and Machinery or Equipment, less than Rs.10 crore and Annual Turnover is less than Rs. 50 crore

This section only applies to Manufacturing Enterprises and Enterprise rendering services, which means that this section is not applicable for Traders, even if they are registered and are Micro or Small Enterprise


How to check if a party is MSME

The assesse must ask the MSME certificate from the supplier and check the following:

- a) If there is a valid registration and registration is active
- b) If the Major Activity is Services/Manufacturer. If it is Trader then the provisions do not apply
- c) If the Type of Enterprise is Micro, Small or Medium. If it is Medium then the provisions do not apply

To check the details of the supplier, the assesse can go to this link and check the details:

https://udyamregistration.gov.in/udyam_verify.aspx



What are the provisions of this section

The new provisions says that, any amount payable to Micro and Small enterprise as on $31^{\rm st}$ March, beyond the time period specified, shall not be allowed as deduction from income

To understand this, first we have to understand what is the time period specified for payments:

- I. In case there is contract/agreement/PO/any type of agreement, the credit period agreed, which shall not be more than 45 days. If the credit period in contract is 30 days, the time period specified shall be 30 days. However, if the credit period in contract is 90 days, the time period specified shall be considered as 45 days
- II. In case there is no agreement, then the period specified shall be deemed to be 15 days, i.e. payment has to be done within 15 days of acceptance of goods or service

What are the consequences of non-payment within time period specified

If the payments are not made within the time period specified as on 31st March, then,

- a) Such expense shall not be allowed as deduction in current year
- b) The MSME party has to be paid interest for delay payment at 3 times the bank rate which is 6.75% currently, i.e. 20.25%
- c) Interest on delay payment is not allowed as deduction of expense in Income Tax
- d) Such expense shall be allowed as deduction in the year in which the amount is paid
- e) The relaxation of payment till the date of return filing or tax audit, is not applicable
- f) The Tax auditor is required to report in their tax audit report, details of all such amount which was payable within the time specified and has not been paid

Is benefit lost or deferred

In case the payment is not done within the time period specified, then that amount shall not be allowed as deduction in the current year.

However, the deduction shall not be lost and shall be allowed in the year in which it is actually paid